

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 10683/980

दिनांक :- 21-09-2021

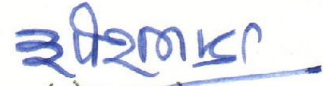
कार्यालय आदेश

श्री विरेन्द्र सिंह (लिंक नं. 10683) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर को उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

असाधारण अवकाश :- दिनांक 06.09.2021 से 31.12.2022 तक

(कुल 482 दिवस)

उक्त कुल 482 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री विरेन्द्र सिंह की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित किया जावे।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/अलेसे-III/निप लिंक नं. 10683/980

दिनांक :- 21-09-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उपनिबन्धक (प्रशासन), कार्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
2. श्री विरेन्द्र सिंह (लिंक नं. 10683) कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
3. निजी सचिव, निदेशक ।
4. कार्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
5. उपनिदेशक एसीपी को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
6. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली ।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)